

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :- पंकज बडगूजर (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या
27/2021

रजू दिनांक
23.02.2021

निर्णय दिनांक
11.12.2021

उनवान

1. अनिता पुत्री रामजीलाल जाति अहीर निवासी बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
-: प्रार्थीया

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
-: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

वकील प्रार्थीगण :- श्री रणवीर सिंह यादव

-: निर्णय :-

दिनांक :- 11.12.2021

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.12.2021 में पेश हुई। प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तर्जित में आराजी खसरा नम्बर 492 रकबा 0.43, 493 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम लामचपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर में प्रार्थीया अपना नाम लीली के स्थान पर अनिता पुत्री रामजीलाल दर्ज करवाना चाहती हैं।

प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक पास की छायाप्रति पेश किये गये। पत्रावली शामिल है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर होकर अप्रार्थी को तामिल करवाई गई। हल्का पटवारी पलावा द्वारा जबाब लिया गया। हल्का पटवारी पलावा में अपना जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्ध करें।

उभयपक्ष की सुनी गई, दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्रों के जिम्मनों को दौहराते हुए आराजी खसरा आराजी खसरा नम्बर 492 रकबा 0.43, 493 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम लामचपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर में प्रार्थीया का नाम लीली के स्थान पर अनिता पुत्री रामजीलाल दर्ज किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की ध्यानपूर्वक बहस

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

सुनी गई एवं प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात के गहनता से अध्ययन करने पर पाया कि प्रार्थीया का नाम समस्त दस्तावेजात में लीली न होकर अनिता दर्ज है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में गांव में बुलाये जाने वाला लीली दर्ज है। उक्त दस्तावेजात के आधार पर यह न्यायालय प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

-:: आदेश ::-

अतः प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 492 रकबा 0.43, 493 रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम लामचपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर में अंकित प्रार्थीया का नाम लीली के स्थान पर अनिता पुत्र रामजीलाल दर्ज रिकॉर्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्तानुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार, मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 11.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पंकज बडगुजर)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

21-1-2022 आज पत्रावली द्वारा अनिता के प्रार्थना पत्र पर तबसे केसट फेरा हुई। निर्णय में अखन से अंकित अनिता पुत्र रामजीलाल को अनिता पुत्री रामजीलाल पदा जावे।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0